न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :255/2021

वादीगण–

1. बीरमाराम पुत्र रामनिवास
2. गोपालराम पुत्र रामनिवास

जातियान–जाट निवासीगण तंवरा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामनिवास पुत्र हुक्मारामा
2. किरण पुत्री रामनिवास
3. गोविन्दी पुत्री रामनिवास

जातियान जाट निवासीगण तंवरा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. वादीगण एवं प्रतिवादीसंख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित कैम्प कोर्ट तंवरा 25.11.2021
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 25/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा तंवरा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 106 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, खसरा नंबर 306/524 रकबा 2.3553 हैक्टेयर, खसरा नंबर 307/251 रकबा 2.5819 हैक्टेयर , खसरा नंबर 40 रकबा 2.2420 हैक्टेयर, खसरा नंबर 92 रकबा 3.3184 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी वादपत्र में संलग्न जमाबंदी अनुसार वर्णित खेताय जो वादीगण 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुश्तैनी बडेर की भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हक अधिकार रहता रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 की आखातीज को वाद के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 306/524 रकबा 2.3553 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर

25/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

307/521 रकबा 2.5819 हैक्टेयर पूरा रखा गया है। वादी संख्या 2 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तवंरा का खेत खसरा नंबर 106 रकबा 2.2743 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 92 रकबा 3.3184 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 2.2420 हैक्टैयर तथा मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 560 रकबा 4.8562 हैक्टेयर यथावत रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण एवं गोविन्दी के हक बंट कब्जा काश्त में अन्य भूमि निहित है ऐसी सुरत में मुतदाविया भूमि में किरण व गोविन्दी का कोई हक बंट नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत तंवरा में स्वंय उपिस्थिति तथा दिनांक 24.11.2021 को न्यायालय हाजा में इकबाली जबाव पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मंडा ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठोड़ ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है, राजहित प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बीरमाराम पुत्र रामनिवास, गोपालराम पुत्र रामनिवास, रामनिवास पुत्र हुक्माराम नकल जमाबन्दी ग्राम तंवरा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 437 प्रदर्श–1 व मौजा छापड़ा खाता संख्या 826 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 24.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 25.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा तंवरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 306/524 व 307/521 सम्पूर्ण की भूमि में वादी बीरमाराम के हक बंट में तथा खसरा नंबर 106 व 92 की सम्पूर्ण भूमि का हक बंट वादी गोपालराम के रखने तथा मुतदाविया शेष खसरान् नंबर 40 व मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 560 यथावत् प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के कब्जे काश्त में रखने की वाद पत्र में इस्तदुआ चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखे तथा वाद पत्र के अनुसार अन्य भूमि निहित होने का वर्णन किया गया है जबकि अन्य कन्ही भूमि होने का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित है। अतः मौजा तंवरा के खेत खसरा नंबर 306/524 व 307/521, 106 व 92 , 40 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण व गोविन्दी को प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 255/2021
जीसीएमएस नंबर–
बीरमाराम वगैरह बनाम् रामनिवास वगैरह

– : : **आदेश** : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा तंवरा के खेत खसरा नंबर 306/524 व 307/521, 106 व 92 , 40 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण व गोविन्दी को प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक सहमति एवं ईकबाली जबाब अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 306/524 रकबा 2.3553 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 307/521 रकबा 2.5819 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तवंरा का खेत खसरा नंबर 106 रकबा 2.2743 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 92 रकबा 3.3184 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 2.2420 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
4. **प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण एवं गोविन्दी के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि रखे जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 25/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

25/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण– राजस्व वाद संख्या :255/2021

1. बीरमाराम पुत्र रामनिवास
2. गोपालराम पुत्र रामनिवास

जातियान–जाट निवासीगण तंवरा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामनिवास पुत्र हुक्माराम
2. किरण पुत्री रामनिवास
3. गोविन्दी पुत्री रामनिवास

जातियान जाट निवासीगण तंवरा तहसील–जायल, जिला–नागौर।

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. वादीगण एवं प्रतिवादीसंख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित कैम्प कोर्ट तंवरा 25.11.2021
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री हनुमानराम मंडा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा तंवरा के खेत खसरा नंबर 306/524 व 307/521, 106 व 92 , 40 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण व गोविन्दी को प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक सहमति एवं ईकबाली जबाब अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

1. वादी संख्या 1 बीरमाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 306/524 रकबा 2.3553 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 307/521 रकबा 2.5819 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 गोपालराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तवंरा का खेत खसरा नंबर 106 रकबा 2.2743 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 92 रकबा 3.3184 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा तंवरा का खेत खसरा नंबर 40 रकबा 2.2420 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
4. **प्रतिवादी संख्या 2 व 3 किरण एवं गोविन्दी के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही अन्य भूमि रखे जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निर्णय आज दिनांक 25/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/11/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

25/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner